



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 169-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017 (BHADRA 30, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 सितम्बर, 2017

**संख्या 85/एसटी-2.**— हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में,—
  - (i) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3क) उपनियम (1), (2) और (3) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनन्तिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या जिसने नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, अक्टूबर, 2017 के प्रथम दिन से इलैक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02** में, सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से उक्त तिथि से पूर्व सूचना दायर करते हुए धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने का विकल्प दे सकता है और उक्त तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03** में विवरण प्रस्तुत करेगा:

परंतु उक्त व्यक्तियों को **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03** में विवरण प्रस्तुत कर देने के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1** में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।”;

- (ii) उपनियम (5) में, “या उपनियम (3)” शब्दों, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, “या उपनियम (3क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 120 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—  
 “120क. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने नियम 117, नियम 118, नियम 119 और नियम 120 में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा प्रस्तुत की है, ऐसी घोषणा को एक बार पुनरीक्षित कर सकता है और इलैक्ट्रॉनिक रूप में सामान्य पोर्टल पर उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट समय अवधि या ऐसी और अवधि, जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए, के भीतर **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1** में पुनरीक्षित घोषणा प्रस्तुत करेगा।”;
4. उक्त नियमों में, नियम 127 में, खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—  
 “(iv) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के दसवें दिन तक परिषद को कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।”;
5. उक्त नियमों में, नियम 138 में, उपनियम (1) में,—  
 (i) खंड (iii) में, विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; ,  
 (ii) अंत में, निम्नलिखित परन्तुक तथा व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:—  
 “परंतु जहां मालों को किसी एक राज्य में अवस्थित प्रधान द्वारा किसी अन्य राज्य में अवस्थित छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है, तो ई-वे बिल का सृजन, परेषण का मूल्य चाहे कुछ भी हो, प्रधान द्वारा किया जाएगा:  
 परंतु यह और कि जहां हस्तशिल्प मालों का परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे धारा 24 के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है, ई-वे बिल का सृजन, परेषण का मूल्य चाहे कुछ भी हो, उक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।  
**व्याख्या**—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “हस्तशिल्प माल” अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो उसे हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 22 सितंबर, 2017 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 83/एसटी-2, दिनांक 22 सितंबर, 2017, में दिया गया है।”।
6. उक्त नियमों में, “**प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1**” में,—  
 (i) क्रम संख्या 5 में, शीर्ष (क) में, “धारा 140(1) और धारा 140 (4)क” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 140 (1), धारा 140(4)(क) और धारा 140(9)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;  
 (ii) क्रम संख्या 7(क) में, सारणी में, “7क जहां शुल्क भुगतान किया गया बीजक उपलब्ध है” अंक, अक्षर तथा शब्दों के स्थान पर, “7क जहां शुल्क भुगतान किया गया बीजक (प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (सीटीडी) सहित) उपलब्ध है” अंक, अक्षर, शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे; तथा  
 (iii) अंत में, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी तथा प्रथम जुलाई, 2017 से जोड़ी गई समझी जाएंगी, अर्थात्:—  
 “अनुदेश:  
 1. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 की उपधारा (9) के निबंधनों में केन्द्रीय कर का प्रत्यय सारणी 5 (क) के खंड 6 में लिया जाएगा।  
 2. प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (सीटीडी) के माध्यम से प्रत्यय प्राप्त करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति शीर्ष “इनपुट” के अधीन सारणी-7क में प्रत्यय प्राप्त करने के अतिरिक्त **टीआरएएनएस3** भी दायर करेंगे।”;
7. उक्त नियमों में, “**प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01**” में, टिप्पण-4 के पश्चात्, अंत में, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—  
 “5. प्रवेश पत्र के ब्यौरों को बीजक के स्थान पर दर्ज किया जाएगा जहां परेषण आयात से संबंधित है।”।

संजीव कौशल,  
 अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
 आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 22nd September, 2017

**No:85/ST-2.** - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2017.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter called the said rules), in rule 3,-
  - (i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 

“(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has applied for registration under sub-rule (1) of rule 8 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of October, 2017 by electronically filing an intimation in **FORM GST CMP-02**, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, before the said date and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub - rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the said date:

Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in **FORM GST TRAN-1** after the statement in **FORM GST ITC-03** has been furnished.”;
  - (ii) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure, “or sub-rule (3)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (3A)” shall be inserted;
3. In the said rules, after rule 120, the following rule shall be inserted, namely:-
 

“120A. Every registered person who has submitted a declaration electronically in **FORM GST TRAN-1** within the time period specified in rule 117, rule 118, rule 119 and rule 120 may revise such declaration once and submit the revised declaration in **FORM GST TRAN-1** electronically on the common portal within the time period specified in the said rules or such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.”;
4. In the said rules, in rule 127, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-
 

“(iv) to furnish a performance report to the Council by the tenth of the close of each quarter.”;
5. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (1),-
  - (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
  - (ii) the following provisos shall be inserted, namely:-
 

“Provided that where goods are sent by a principal located in one State to a job-worker located in any other State, the e-way bill shall be generated by the principal irrespective of the value of the consignment;

Provided further that where handicraft goods are transported from one State to another by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under clauses (i) and (ii) of section 24, the e-way bill shall be generated by the said person irrespective of the value of the consignment.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression “handicraft goods” has the meaning as assigned to it in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.83/ST-2, dated 22nd September, 2017.”;
6. In the said rules, with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017, in “**FORM GST TRAN-1**”,-
  - (i) in serial number 5, in heading at (a), for the words, letters and signs “(Section 140(1) and Section 140(4)(a))”, the words, letters and signs “(Section 140(1), Section 140 (4) (a) and Section 140(9))” shall be substituted;

- 
- (ii) in serial number 7, in the table, for the heading, “7A where duty paid invoices are available”, the following heading shall be substituted, namely:-  
“7A where duty paid invoices (including Credit Transfer Document (CTD)) are available”;
- (iii) in the end of the Form, after the words “Designation/Status”, the following shall be inserted, namely:-  
“Instructions:  
1. Central Tax credit in terms of sub-section (9) of section 140 of the CGST Act, 2017 shall be availed in column 6 of table 5 (a).  
2. Registered persons availing credit through Credit Transfer Document (CTD) shall also file **Trans3** besides availing credit in table 7A under the heading “inputs.”.
7. In the said rules, in the Notes to “**FORM GST EWB-01**”, after Note 4, the following Note shall be added, namely:-  
“5. The details of bill of entry shall be entered in place of invoice where the consignment pertains to an import.”

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.